रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 82-83/2005

रघुबीर सिंह अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य प्रतिवादी

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 778/2005

निर्णय

हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीश

1. यह निर्णय 2005 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 82-83 और 778 का निपटान करेगा। इसमें तथ्य 2005 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 778 से लिए गए हैं।

2. अभियोजन की कहानी के अनुसार, पी डब्लू प्रभु कोली और उनके भाइयों ने घटना से कई साल पहले खसरा नं. 250वाली 5बीघा भूमि पी डब्लू-1रघुवीर सिंह को गिरवी रखी थी। 7 अगस्त, 1997 को लगभग 2 बजे रघुवीर सिंह, छोटे लाल, राजेन्द्र, मुंशी और गिरधारी भूमि जोतने की प्रक्रिया में थे जब अभियुक्त कल्लू, कमरू, तैय्यब और रहमत उस स्थान पर पहुंचे व उसी जमीन को जोतना शुरू कर दिया।रघुवीर सिंह ने इस घुसपैठ का विरोध किया, जिस पर उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के साथ उसे कुचलने का प्रयास किया। इस बीच फारसी, तंचियाओं, दांतियों और लाठियों से लैस असुद्दीन, महबूब, मौज, सोहन लाल और कमरू ने उन पर हमला किया, जबकि मौज और असुद्दीन ने गिरधारी, कल्लू और रहमत के सिर पर दांती और तन्चिया से हमला किया, और जब रघुवीर सिंह ने गिरधारी, असुद्दीन, तैयब और कमरुद्दीन के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उन्होंने भी अपने हथियारों से उन पर हमला किया। हादसे में गिरधारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटेलाल, लल्लू, राजेंद्र और मुंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद रघुवीर सिंह थाने गए और उसी दिन शाम 5.30 बजे एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। जांच पूरी होने पर, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों के अधीन आरोपित किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ धारा 302 और 302/149, 307 और 307/149 के तहत हैं। अभियोजन पक्ष ने

अपने मामले के समर्थन में 17 गवाहों, प्राथमिक गवाहों में पीडब्ल्यू-1 रघुवीर सिंह, पीडब्ल्यू-2 राजेंद्र कुमार, पीडब्ल्यू-3 छोटे लाल, पीडब्ल्यू-4 मुंशी राम, पीडब्ल्यू-5 लल्लू राम, पीडब्ल्यू-6, सुरेश कुमार और पीडब्ल्यू-7 थान सिंह है। अभियोजन पक्ष ने पी डब्लू-14 डॉ. संजय गुप्ता के बयान पर भी भरोसा किया, जिन्होंने मृत शरीर पर ऑटोप्सी किया था और उस पर 5 घाव पाए थे और उपरोक्त पांच गवाहों अर्थात् रघुवीर सिंह, राजेंद्र कुमार, छोटेलाल, मुंशी और लल्लू की भी जांच की और उनके भी कई घाव पाए, जिनमें से कुछ की प्रकृति गंभीर थी, जबकि आरोपी तैयब, कल्लू, रहमत, असुद्दीन और कामरू को घायल पाया गया, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई थीं। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता से इंकार किया। उन्होंने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त चश्मदीद गवाहों के बयान और चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करते हुए भा.दं.सं. की धारा 302, 302/149, 307 और 307/149 आदि के तहत 9 अभियुक्तों में से 7 को दोषी ठहराया और उन्हें विभिन्न शर्तों के तहत कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, विचारण न्यायालय ने महबूब खान व तैयब को बरी कर दिया। 7 अभियुक्तों, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, ने डीबी आपराधिक अपील संख्या 796/1998 दायर करके अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी, जबकि शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू रघुवीर सिंह ने डीबी आपराधिक संशोधन संख्या

188/1999 दायर करके महबूब खान और तैयब खान को बरी करने को चुनौती दी। उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीनता रहने के दौरान रहमत का निधन हो गया जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय साक्ष्यों पर पुनर्विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस भूमि पर यह घटना घटी वह प्रभु की नहीं बल्कि वास्तव में वन विभाग की थी और अभियुक्त मौज खान और रहमत के खेतों से सटी हुई थी और यह कि शिकायतकर्ता पक्ष उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पहली बार उक्त भूमि पर खेती करने गया था, यद्यपि पटवारी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त भूमि पर अभियुक्तों का कब्जा प्रतीत होता है और यह पाते हुए कि शिकायतकर्ता पक्ष ने इसमें अतिचार किया था और हल जोतना शुरू कर दिया था, ने एक विरोध दर्ज कराया था, जिस पर एक खुली लड़ाई हुई थी और दोनों पक्षों को चोटें आई थीं जिस पर कल्लू आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तदनुसार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले के इस दृष्टिकोण में, धारा 147, 148 और 149 के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते और प्रत्येक अभियुक्त को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराया जाना था। उच्च न्यायालय ने तदनुसार प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका की जांच की और पाया कि हालांकि कल्लू पर भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था कि उसने

गिरधारी के पीछे भागते हुए उसकी पीठ के बाईं ओर हल से घातक चोट पहुंचायी किंतु उसका गिरधारी को मारने का आशय नहीं था इसलिए वह भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत उत्तरदायी होगा। तदनुसार न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को निम्नानुसार संशोधित किया-

(I) अपीलकर्ता रहमुद्दीन की अपील स्वीकार की जाती है और उसे भा.द.सं. की धारा 302/149, 447, 147, 325/149, 324/149 और 323/149 के आरोपों से बरी किया जाता है। वह जमानत पर है, अतः उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके जमानत-मुचलके समाप्त किये गए है ।

(ii) चूंकि अपीलकर्ता रहमत खान की अपील विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई है।

(iii) अपीलकर्ताओं कल्लू, असुद्दीन, सोहन लाल, कमरुद्दीन और मौज खान की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलकर्ता कल्लु की दोषसिद्धि 302, 447, 148, 325/149, 324/149 और 323/159 के अंतर्गत खारिज की जाती है, इसके

बजाय उन्हें भा.द.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया जाता है। जैसा कि कल्लू छह साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास में चल रहा है, न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे पहले से भुगती हुई कारावास की अवधि तक की सजा सुनाई जाती है, कल्लू, जो कि जेल में है, को किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर तुरंत रिहा कर दिया जावें।

(iv) अपीलकर्ताओं सोहन लाल, मौज खान और असुद्दीन की धारा 302/149, 447, 148, 325/149 और 323/149 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है और वे कथित आरोपों से बरी हो जाते हैं तथापि, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 324 के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और उन्हें उस अवधि के लिए दंडित किया जाता है जो उनके द्वारा पहले ही कारावास में भुगती है। सोहन लाल और मौज खान जमानत पर हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उनके जमानत मुचलके समाप्त हो जाते हैं।

अपीलकर्ता असुद्दीन, जो जेल में है, को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

(v) अपीलकर्ता कमरुद्दीन की धारा 302/149, 447, 148, 324/149 और 323/149 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है और वह कथित आरोपों से बरी कर दिया जाता है। तथापि, भा.दं.सं. की धारा 325 के तहत उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और उसे उस अवधि के लिए दंडित किया जाता है जो उसके द्वारा पहले ही कारावास में भुगती है। वह जमानत पर है, उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(vi) डी. बी. आपराधिक रिवीजन संख्या 188/1999 निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है।

(vii) विद्वत विचारण न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय उपर्युक्त संकेत के अनुसार संशोधित किया गया है।

3. तथापि, महबूब खान और तैयब खान की दोषमुक्ति इस दलील पर कायम रखी गई कि चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। अपील का वर्तमान सेट राज्य द्वारा और साथ ही पीडब्लू-1 रघुवीर सिंह द्वारा दायर किया गया है।

4. हमने डॉ. मनीष सिंघवी, राजस्थान राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री अनीता शेनॉय, रघुवीर सिंह के विद्वान अधिवक्ता और सुश्री विभा दत्ता मखीजा को भी अभियुक्त प्रतिवादी के लिए विद्वान न्यायमित्र के रूप में सुना है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने कई तर्क रखे हैं। पहले यह बताया गया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि यह घटना प्रभु के क्षेत्र में हुई थी, जिसे रघुवीर सिंह के पास गिरवी रखा गया था और इसलिए आरोपी हमलावर थे क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में अतिक्रमण किया था और इसे एक स्वतंत्र लड़ाई का निष्कर्ष देना गलत था, विशेष रूप से क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित था। इस बात पर जोर दिया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने गजानंद और अन्य बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 695 और भंवर सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 16 एससीसी 657 में अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र लड़ाई के लिए दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आने चाहिए, जब कि

इस मामले के तथ्यों के आलोक में अभियुक्त हमलावर थे, इसलिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह गलत था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि यह मान भी लिया जाये कि यह एक मुक्त लड़ाई थी, फिर भी असुद्दीन, मौज खान, कल्लू और रहमत अभियुक्तगण, किसी भी सूरत में, भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि उन्होंने मृतक गिरधारी को चोट पहुंचाई थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता सुश्री मखीजा ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है और प्रारंभिक तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप न्यूनतम होना आवश्यक है और यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जो साक्ष्य पर संभव हो तो हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बैन (2009) 4 एससीसी 271 मामले पर भरोसा किया है। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि गवाहों ने अभियुक्त व्यक्ति पर चोटों के तथ्य को दबा दिया था, जिसका अर्थ था कि घटना की उत्पत्ति अनिश्चित थी और अभियोजन के मामले पर एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना था। तथ्यों के आधार पर यह आग्रह किया गया है कि प्रभु से संबंधित क्षेत्र में हुई घटना के बारे में निचली न्यायालय की टिप्पणी गलत थी| क्योंकि यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं था कि इसे रघुवीर के पास गिरवी रखा गया था और यही कारण था कि साक्ष्य के दौरान रघुवीर

सिंह ने खुद को जमीन का पट्टेदार होने का दावा किया था, न कि कोई गिरवी, जो उनके पिछले बयान से एक स्पष्ट विचलन था । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ इस तथ्य को जोड़ा गया है कि मृतक का शव घटनास्थल से बरामद नहीं किया गया था, बल्कि मृतक के घर में पाया गया था और यह कि घटना के स्थान से कोई हल या खून नहीं उठाया गया था, स्पष्ट रूप से पता चला है कि घटना खेत में नहीं हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू-1 द्वारा पेश की गई कहानी कि कल्लू ने पहले अपने ट्रैक्टर के साथ गिरधारी को मारा था और फिर अपने ट्रैक्टर की लिफ्ट का उपयोग करके हल को उठाया था और फिर इसे गिरधारी के शरीर पर छोड़ दिया था, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 161 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में नहीं था और वह पहली बार न्यायालय में आया था और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह अंततः प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू-3छोटे लाल, घायल गवाहों में से एक, और जांच अधिकारी पीडब्लू-17समयदीन ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि भूमि के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप दोनों समूहों के बीच अचानक लड़ाई हो गई थी और इस प्रकार उच्च न्यायालय का अवलोकन साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह से उचित था।

5. हम सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन दाखिल एक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश के बारे में सुश्री मखीजा के प्रारंभिक निवेदन पर विचार करते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, विद्वान अधिवक्ता ने बैन के मामले (ऊपर) पर भरोसा किया है। इस न्यायालय के अनेक निर्णयों का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, उसके पैरा 25 में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया मत विश्वसनीय या संभव था तो उच्चतम न्यायालय के लिए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यह इस प्रकार से देखा गया हैः

> "निम्नलिखित कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें शायद यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उचित होगा, लेकिन ये निदर्शी हैं, जो संपूर्ण नहीं हैंः
>
> (i) उच्च न्यायालय का निर्णय स्थापित कानूनी स्थिति को नजरअंदाज करके कानून के बारे में पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है
>
> (2) उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य और अभिलेख पर दस्तावेजों के विपरीत है।

(III) साक्ष्य के साथ व्यवहार करने में उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिसके कारण न्याय का घोर गर्भपात हुआ।

(IV) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो मामले के रिकॉर्ड पर गलत कानून और तथ्यों पर आधारित है

(V) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए।

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जब सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित किया है।"

इस प्रकार उक्त कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करते हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या इस न्यायालय को ऊपर दिए गए मापदंडों के आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि अभियुक्तों को लगी चोटों की व्याख्या नहीं की गई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने एक भी शब्द नहीं कहा था कि उन्हें कैसे पीड़ा हुई थी। मामले के इस दृष्टिकोण से, बचाव पक्ष वैध रूप से यह संदेह पैदा कर सकता है कि घटना की

उत्पत्ति रहस्य में छिपी हुई थी और अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही के एक हिस्से को दबा दिया था। यह सच है, जैसा कि डॉ. मनीष सिंघवी द्वारा प्रतिवाद किया गया है, कि अभियुक्त पर प्रत्येक चोट के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । विशेष रूप से जहां अभियुक्त को कारित सभी चोटें सरल प्रकृति की हैं (जैसा कि वर्तमान मामले में है) और मामले के तथ्यों का मूल्यांकन संभाव्यताओं की प्रकृति के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में चोटों को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी क्योंकि उस भूमि के कब्जे के बारे में एक गंभीर विवाद है जिसमें यह घटना हुई थी, विशेष रूप से रघुवीर सिंह स्वयं अभिलेख पर बयान के अनुसार कब्जे की प्रकृति के बारे में अनिश्चित थे और पटवारी ने शिकायतकर्ता पक्ष को भूमि में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी थी। निस्संदेह, अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में घायल गवाह हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के प्रकाश में कि कब्जे के बारे में अनिश्चितता थी, यह तथ्य अभियुक्त को यह दावा करने से नहीं रोक सकता है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू-3छोटे लाल, घायल गवाहों में से एक, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि झगड़ा अचानक हुआ था और यह कि प्रतिद्वंद्वी समूह दोनों कह रहे थे कि वे बीज बोते थे। यह याचिका जांच अधिकारी

पीडब्ल्यू-17 समैदीन के साक्ष्यों द्वारा भी समर्थित है, जिन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पटवारी के अनुसार, भूमि पर ताज़ा कब्जा किया गया था, जो कि गौगा और डल्लू की थी और यह भूमि शिकायतकर्ता पक्ष के कब्जे में थी। यह बयान अन्य गवाह विशेष रूप से पीडब्लू-1रघुवीर सिंह के साक्ष्य के विपरीत है क्योंकि उन्होंने कहा कि वे लगभग 20 वर्षों से विवादित भूमि के कब्जे में थे। घटना स्थल को लेकर भी संदेह है। मृतक और हल पीडब्ल्यू-1 के घर से बरामद किया गया और पीडब्ल्यू-17 ने स्वीकार किया कि साइट से कोई खून से सने मिट्टी नहीं उठाई गई थी। भंवर सिंह के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत अपराध के दायरे से संबंधित है। ऊपर बताए गए तथ्यों के आलोक में, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि दोनों पक्ष युद्ध करने आए थे, न्यायसंगत प्रतीत होता है क्योंकि यह उन साक्ष्यों की सराहना पर एक आंकलन है जिसे स्पष्ट रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है ताकि इस न्यायालय का हस्तक्षेप आमंत्रित किया जा सके। गजानंद के मामले (पूर्वोक्त) में यह मत कि मामले को एक स्वतंत्र लड़ाई के भीतर लाने के लिए दोनों पक्षों को सशस्त्र आना होगा और युद्ध आदेश के लिए तैयार रहना होगा, वर्तमान मामले में इस परिणाम के साथ लागू किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अभियुक्त अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

6. इस पृष्ठभूमि के साथ, अब हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए वैकल्पिक तर्क पर जाते हैं, अर्थात् मामले को एक मुक्त लड़ाई के रूप में स्वीकार करने पर भी, चार अभियुक्त प्रतिवादी अर्थात् कल्लू, असुद्दीन, मौज और रहमत को गिरधारी की हत्या के लिए भा.दं.सं. की खंड 302 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए था। यह देखा जा सकता है कि कल्लू के खिलाफ लगाए गए आरोप यह थे कि वह ट्रैक्टर चालक था जिसने पहले गिरधारी को धक्का दिया था, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाया था, हल को उठाया था और फिर उसे उस पर डाल दिया था जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी जबकि अन्य तीन ने भी अपने हथियारों से गिरधारी को घायल कर दिया था। हमने इस संबंध में साक्ष्यों का बहुत सावधानी से अध्ययन किया है। मृत शरीर पर पाए गए घावों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैः

> "1.."बाईं ओर पीठ पर चोटें छिद्रित एल-एल (टूम) क्षेत्र पेरिटोनियल कैविटी आकार तक गहरा 12 x 5 सेमी x पेरिटोनियम तक गहरा भी पीछे की तरफ 9 मीटर 10 और 11 वीं पसली का फ्रैक्चर।
>
> 2. घर्षणः4 x 2 सेंटीमीटर बाईं ओर चोट संख्या 1।
>
> 3. दाएं पार्श्व में 5 x 1.5 सेमी मार्जिन नियमित रूप से सामने के क्षेत्र में अनुप्रस्थ रूप से लगाया

गया घाव।4.अनुदैर्ध्य रूप से पार्श्विका हड्डी दोनों के बीच सिर के केंद्र पर 5 x 1.5 सेमी का कटा हुआ घाव, नियमित रूप से मार्जिन

5. विदीर्ण घावः2 x 1 cm x 0.5 cm बाएं चिकित्सा पक्ष के बीच में।

इन चोटों की प्रकृति पोस्टमॉर्टम से पहले की थी और मृत्यु का कारण चोट संख्या 1 द्वारा प्लीहा और बाएं गुर्दे की चोट के कारण रक्तस्राव और सदमा था।

हल के साथ चोट नंबर 1 है जो घातक चोट है और इसके लिए गवाहों द्वारा कल्लू को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि, सुश्री मखीजा ने तर्क दिया है कि यह कहानी कि हल को पहले उठाया गया था और फिर गिरधारी पर छोड़ दिया गया था, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि रघुवीर सिंह ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था, हालांकि अन्य गवाहों ने ऐसा किया था और इस तरह, यह कहानी असंभव थी। हालांकि, यह मानते हुए कि हल को पहले उठाया नहीं गया था और फिर गिरा नहीं दिया गया था, फिर भी हम पाते हैं कि चोट नंबर 1 एक हल के कारण हुई थी और चोट की सीमा और गंभीरता से पता चलता है कि कल्लू का इरादा गिरधारी की मृत्यु कारित का था।

साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि चोट संख्या 1 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। ऊपर उल्लिखित अन्य तीन अभियुक्तों को लगी चोटें प्रकृति में सरल थीं और किसी भी कल्पना से, मौत का कारण नहीं कहा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम एक स्वतंत्र लड़ाई के मामले से निपट रहे हैं, असुद्दीन, मौज और रहमत को उनकी अपनी-अपनी चोटों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इनमें से रहमत की उच्च न्यायालय में मामले के रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसलिए, हमारी राय है कि जहां तक कल्लू प्रतिवादी का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर भी भा.दं.सं. की धारा 304भाग 2के तहत उसकी दोषसिद्धि गलत थी।तदनुसार, हम इन अपीलों को इस हद तक स्वीकार करते हैं कि कल्लू को गिरधारी की हत्या के लिए भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है और हम इस सीमित सीमा तक निचली न्यायालय के फैसले को बहाल करते हैं। जहां तक अन्य अभियुक्तों का संबंध है, अपीलें खारिज की जाती हैं।

7. एमिकस न्यायालय मित्र प्रत्येक अपील में 7,000/- रुपए नियत किया गया है।

हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीश

ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधीश

29 अगस्त, 2011 नई दिल्ली.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण:यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।